



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन, 1943 (श०)

संख्या-504 राँची, शुक्रवार,

1 अक्टूबर, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2021

संख्या-8/निकाय/107/2018/न.वि.आ./2935--शहरी स्थानीय निकाय चुनाव, 2018 में गुमला नगर परिषद् के वार्ड नं.-4 में वार्ड पार्षद के पद पर श्री कृष्ण राम का निर्वाचन हुआ था। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को श्री कृष्ण राम के विरुद्ध वार्ड पार्षद चुनाव के नाम निदेशन (NOMINATION) के समय निर्वाची पदाधिकारी को यह गलत सूचना दिये जाने के आरोप प्राप्त हुए कि श्री कृष्ण राम को प्रियांशु राज नाम का पाँचवा पुत्र था, जिसकी जन्म तिथि दिनांक-06.01.2014 थी, जो दिनांक-09.02.2013 के उपरांत था तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-6669 दिनांक-30.10.2017 के अनुसार यह चुनाव उम्मीदवार के लिए अयोग्यता थी।

उक्त आरोपों पर उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-44 दिनांक-05.02.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कृष्ण राम का पाँचवा पुत्र प्रियांशु राज की जन्म तिथि 06.01.2014 है, जिसका अनुमोदन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी गुमला से भी कराया गया है एवं जन्म प्रमाण पत्र संख्या-522597/2014 में फर्जीवाड़ा कर जन्म तिथि 06.01.2014 के स्थान पर दिनांक-06.01.2013 कर दिया गया। उपायुक्त, गुमला के प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभाग द्वारा यह पाया गया कि प्रश्नगत मामला झारखण्ड

नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री राम के विरुद्ध कार्रवाई करने योग्य है।

संबंधित निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव-बयान की सुनवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर पर गठित जाँच समिति द्वारा श्री राम के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित करते हुए विभाग को अनुशंसित किया गया है कि झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम-3.14, 4.12 सह-पठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) की धारा-18(2) तथा 584 (1) के आलोक में श्री कृष्ण राम को पार्षद, गुमला नगर परिषद के पद से मुक्त की जाए।

झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम 3.14 के प्रावधानानुसार 'अगर उसके दो से अधिक जीवित संतान हैं:

परन्तु यह कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक या पर अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान है, तो वह अयोग्य नहीं होगा।'

अतएव जाँच समिति के अनुशंसा में झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम-3.14 के तहत आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप नियमावली के नियम 4.12 के प्रावधानों के तहत श्री कृष्ण राम, वार्ड पार्षद, गुमला नगर परिषद् को पार्षद पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
